प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला चौकी – भ्र0नि0 ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना– प्र0आ0के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष– 2023
प्र0सू0रि0 सं. 58/2023 दिनांक 10/3/2023

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7
(2) अधिनियम .... धाराएं ....
(3) अधिनियम.. धाराएं..................................
(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराएं...................................

3. (क) घटना का दिन–बृस्पतिवार दिनांक. 09.03.2023 से दिनांक.............. तक
पहर.....03.35 पीएम ...... बजे से ....
(ख) थाने पर प्राप्त सूचना .... दिनांक– 28.02.2023 समय : 12.05 पीएम
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ......177...... समय..........6:45 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुइ– स्वयं हाजिर होकर, लिखित/मौखिक– लिखित

1. घटना स्थल का ब्यौरा
2. (क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी से बजानिब दक्षिण दिशा बफासला करीब 30 किमी.
.... बीट संख्या..........
(ख) पता – पटवार घर लखूवाली
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम.. जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला)
(क) नाम– श्री गिरधारी लाल
(ख) पिता/पति का नाम– श्री दलुराम
(ग) जन्म तिथि/उम्र 48 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय (ड़) पासपोर्ट संख्या....................................
जारी करने की तिथि.................................... जारी करने का स्थान....................................
(च) व्यवसाय– ....
(छ) पता– निवासी जोरावरपुरा 3 एचएलएम तहसील व जिला हनुमानगढ़

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1.श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री संदीप कुमार, पुत्री रणवीर सिह जाति जाट उम्र–30 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 03, ग्राम पोहड़का, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल निवास सूर्या कॉलोनी, नोहर रोड़ रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल वरिष्ठ पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण...कोई नहीं

9. चोरी हुई सम्पति का विवरण :– आरोपिता श्रीमती कौशल्या वरिष्ठ पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवादी श्री गिरधारी लाल की पत्नी के नाम इंतकाल दर्ज करने की एवज में वक्त सत्यापन 2000/–रूपये की मांग करना, वक्त रिश्वत लेन देन आरोपिता श्रीमती कौशल्या वरिष्ठ पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ द्वारा 2,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करना, जो आरोपिता श्रीमती कौशल्या वरिष्ठ पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ के पीठू बैग की उपर की दूसरी जेब से बरामद होना, आरोपिता श्रीमती कौशल्या वरिष्ठ पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से 2,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना।

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य–.................... ट्रेप राशि **2,000/–रू0**

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु

सेवा में,श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,हनुमानगढ़। विषयः– प्रार्थी से रिश्वत मागनें वाले सरकारी कर्मचारी पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने बाबत।महोदय,निवेदन है कि मै गिरधारी लाल पुत्र श्री दलुराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी जोरावरपुरा 3एचएलएम तहसील व जिला हनुमानगढ़ हूं, हमारी ग्राम पंचायत मैनावाली है, मेरे गांव में मेरे नाम 10बीघा कृषि भूमि है जिसमें से मैने 5 बीघा कृषि भूमि अपनी पत्नी श्रीमती मुन्नीदेंवी के नाम गिफ्ट डीड करवायी है जिसका इंतकाल मेरी पत्नी के नाम खुलवाने के लिए मैनें मेरे गांव के पटवारी को प्रार्थना पत्र दिया हुआ है मेंरे गांव के पटवारी पद का चार्ज श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी ग्राम पंचायत लखुवाली के पास है। मेंने इस काम के लिये सभी जरूरी दस्तावेज पटवारी श्रीमती कौशल्या को जमा करवा दिये है तथा जब मेंने कुछ दिन पूर्व पटवारी श्रीमती कौशल्या को मेरे काम के बाबत पूछा तो श्रीमती कौशल्या ने कहा की तुम्हारें कागजों पर थोडा वजन रखना पड़ेगा तभी तुम्हारा काम होगा जिस पर मेंने कहा आप थोडा खुलकर बताओं तो पटवारी श्रीमती कौशल्या ने कहा कि आपकी पत्नी के नाम इंतकाल चढ़ाने के लिए आप मुझे 2 हजार रूपये दो उसके बाद आपका काम हो जाएगा इसपर मेनें उन्हें 2 हजार रूपये देने में असमर्थता जतायी तो श्रीमती कौशल्या ने कहा इस काम के 2हजार रूपये तो लगेगें । मै श्रीमती कौशल्या पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं, उसको मुझसे रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं , अतःमुझसे मेंरी 5 बीघा कृषि भूमि का इंतकाल मेरी पत्नी श्रीमती मुन्नीदेंवी के नाम करवाने के लिए रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनें की कृपा करें।प्रार्थी –एसडी– गिरधारी लाल पुत्र श्री दलुराम जाति जाट,उम्र 48 साल निवासी जोरावरपुरा 3 एचएलएम, तहसील व जिला हनुमानगढ़, मो. 9828954635 दिनांकः–28.02.2023

कार्यवाही पुलिस

स्थानः– एसीबी कार्यालय हनुमानगढ़,दिनांकः– 28.02.2023,समयः– 12.05 पीएम,प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी गिरधारी लाल पुत्र श्री दलुराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी जोरावरपुरा 3 एचएलएम तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक के नाम से मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक टाईपशुदा प्रार्थना प्रस्तुत किया जिसे अपने निजि परिचित से टाईप करवाना बताया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि हमारी ग्राम पंचायत मैनावाली है, मेरे गांव जोरावरपुरा 3 एचएलएम में मेरे नाम 10बीघा कृषि भूमि है जिसमें से मैने 5 बीघा कृषि भूमि अपनी पत्नी श्रीमती मुन्नीदेंवी के नाम गिफ्ट डीड करवायी है जिसका इंतकाल मेरी पत्नी के नाम खुलवाने के लिए मैनें मेरे गांव के पटवारी को प्रार्थना पत्र दिया हुआ है मेंरे गांव के पटवारी पद का चार्ज श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी ग्राम पंचायत लखुवाली के पास है। मेंने इस काम के लिये सभी जरूरी दस्तावेज पटवारी श्रीमती कौशल्या को जमा करवा दिये है तथा जब मेंने कुछ दिन पूर्व पटवारी श्रीमती कौशल्या को मेरे काम के बाबत पूछा तो श्रीमती कौशल्या ने कहा की तुम्हारें कागजों पर थोडा वजन रखना पड़ेगा तभी तुम्हारा काम होगा जिसपर मेंने कहा आप थोडा खुलकर बताओं तो पटवारी श्रीमती कौशल्या ने कहा कि आपकी पत्नी के नाम इंतकाल चढ़ाने के लिए आप मुझे 2हजार रूपये दो उसके बाद आपका काम हो जाएगा इसपर मेनें उन्हें 2 हजार रूपये देने में असमर्थता जतायी तो श्रीमती कौशल्या ने कहा इस काम के 2 हजार रूपये तो लगेगें, मै श्रीमती कौशल्या पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं, उसको मुझसे रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं , मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई उधार का लेनदेन नही है एंव ना ही किसी प्रकार कि कोई रंजिश है। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। परिवादी कें प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जा कर अग्रिम कार्यवाही की जायेंगी। परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की फोटो प्रति शामिल पत्रावली की गयी। समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री गिरधारी लाल से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन का पूछने पर परिवादी श्री गिरधारी लाल ने सहमति प्रदान की, इस पर परिवादी श्री गिरधारी लाल को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर ब्यूरो कार्यालय के कानि0 श्री संदीप 273 से आपसी परिचय करवाया गया, परिवादी श्री गिरधारीलाल ने बताया कि पटवारी श्रीमती कौशल्या ने मुझे कल लखूवाली बुलाया है, आप कल सुबह श्री संदीप को लखूवाली भेज देना मै वहां पर उपस्थित मिल जाउंगा और श्रीमती कौशल्या पटवारी से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी को हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया व श्री संदीप कानि0 को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 01.03.2023 समय 10.00 एएम पर श्री संदीप कानि0 273 को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर आवश्यक हिदायत कर वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु लखूवाली की तरफ रवाना किया। समय 05.15

पीएम पर श्री संदीप कानि0 273 गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। संदीप कानि0 ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर लखूवाली पहुंचा जहा पर परिवादी श्री गिरधारीलाल उपस्थित मिला। परिवादी ने अवगत करवाया की अब पटवारी जी के पास थोड़ी भीड़ है थोड़ी देर बार में उनके पास जाकर मेरे काम के संबंध में बात करूगां, इस पर हम वहीं पर गोपनीय रूप से मुकिम हो गय, थोड़ी देर बाद परिवादी ने अवगत करवाया की अब पटवारी जी के पास भीड़ कम हो गयी होगी मैं उनसे मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री गिरधारीलाल को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर पटवारी के कार्यालय की तरफ रवाना किया, मै गोपनीय रूप से मुकिम हो गया, कुछ देर बाद परिवादी वापस मेरे पास आया व बताया कि मेरी श्रीमती कौशल्या पटवारी से मेरे काम के संबंध में बात हो गयी है जिन्होने मेरे से इंतकाल दर्ज करने की एवज में 2000/—रूपये रिश्वत के मांगे है, हमारे मध्य हुई वार्ता को मैने आपके डिवाईस में रिकॉर्ड कर ली है। परिवादी ने बताया कि होली के बाद पटवारी को रिश्वत राशि दूगां, मै होली बाद रिश्वत राशि दो हजार रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में हाजिर हो जाउंगा, इस पर मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री गिरधारीलाल को वहीं पर छोड़ते हुए मै वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ उपस्थित आया हूं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर का चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर डी.वी.डी. में डाउनलोड करवायी जायेगी। ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक08.03.2023 समय 05.00 पीएम परिवादी श्री गिरधारी लाल ने जरिये दूरभाष संपर्क कर बताया की कल मै श्रीमती कौशल्या पटवारी को उनके कार्यालय में मिलकर उनकी मांगनुसार रिश्वत राशि दूगां, इसलिए मै कल सुबह आपके कार्यालय में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित हो जाउंगा, इस पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये एंव कार्यवाही हेतु महिला कानिस्टेबलों की आवश्यकता होने के कारण श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो श्रीगंगानगर को दिनांक 09.03.2023 को गोपनीय कार्यवाही हेतु महिला कानिस्टेबलों को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 09.03.2023 समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री गिरधारीलाल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बताया की दिनांक 01.03.2023 को श्री संदीप मुझे लखूवाली में मिल गये थे, मैने उन्हे बताया की अब पटवारी जी के पास लोगों की भीड़ है मै थोड़ी देर बाद जाकर उनसे मेरे काम के संबंध में वार्ता करूंगा, इस पर हम वहीं पर रूक गये, थोड़ी देर बाद मैने संदीप जी को कहा की अब पटवारी जी के पास भीड़ कम हो गयी होगी मै उनसे बात करके आता हूं, इस पर श्री संदीप जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया मै पटवारी के कार्यालय में चला गया, श्री संदीप जी बाहर ही रूक गये, श्रीमती कौशल्या पटवारी ने मेरे से इंतकाल दर्ज करने की एवज में 2000/—रूपये रिश्वत की मांग की उक्त वार्ता को मैने ब्यूरो के डिजिटल डिवाईस में रिकॉर्ड कर लिया था फिर मै वहां से वापिस आकर संदीप जी से मिला व ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर उनको सुपुर्द कर दिया था, मैने संदीप जी को कहा था कि मै रिश्वत राशि होली के बाद दूंगा, और मैं वहीं पर रूक गया था, आज मैं श्रीमती कौशल्या पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000/—रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं। समय 10.00 एएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर जरिये तहरीर देकर श्री गुलाम कादर सउनि0 को जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ रवाना किया गया। समय 11.00 एएम पर जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ से श्री गुलाम कादर सउनि. के हमराह कार्यालय सहायक अभियंता वितरण जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ जंक्शन के श्री पंकज कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व जयसिह तकनीकी सहायक उपस्थित आये। समय 11.20 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री पंकज कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय व जयसिह तकनीकी सहायक को बुलवाया जाकर परिवादी श्री गिरधारीलाल से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। निर्देशन पर परिवादी गिरधारी लाल पुत्र श्री दलुराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी जोरावरपुरा 3 एचएलएम तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने आरोपिता श्रीमती कौशल्या को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एक—एक सौ रूपये के 20 नोट कुल 2,000/— रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है :—

क्र.स.	नोटों का विवरण	नम्बर
1	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	3DM076673
2	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	9MA871414
3	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	7HS250680
4	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	2ET698740
5	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	2AF703703
6	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	7MH272380

7	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	9EW606357
8	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	3KD726747
9	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	3UB632806
10	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	1EM166085
11	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	7GU996795
12	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	5HV519376
13	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	9LA880919
14	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	0KP893707
15	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	3BC668338
16	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	7DU674827
17	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	2KM723132
18	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	3EN285324
19	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	5AE928458
20	एक नोट भारतीय मुद्रा का एक सौ रूपये का नम्बरी	8BR896804

रूबरू गवाहन श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 16 से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह पंकज कुमार वाणिज्यक सहायक द्वितीय से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 2,000 रू. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 से ही परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी बांयी जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. 8112269978 पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर गिलास को साबुन पानी से साफ धुलवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों व गिलास को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री गिरधारीलाल को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.50 एएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार, श्री जयसिह, श्री गुलाम कादर सउनि., श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री संदीप कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री विनय विशाल कानि0, श्रीमती सुमित्रा महिला कानि., श्रीमती वीरपाल कौर महिला कानि., श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री गिरधारी लाल ने अवगत करवाया की मैने मेरे किसी जानकार से पता किया है श्रीमती कौशल्या पटवारी जी अभी तक पटवार घर में आयी नही है वो जैसे ही आयेगी वो मुझे बता देगा इस पर ब्यूरो कार्यालय में मुकिम हुए। समय 02.25 पीएम पर परिवादी ने अपने जानकार से पता कर अवगत करवाया की श्रीमती कौशल्या पटवारी जी पटवार घर लखूवाली में आ गये है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी गिरधारीलाल, स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार, श्री जयसिह, श्री गुलाम कादर सउनि., श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री संदीप कानि.,श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री विनय विशाल कानि0, श्रीमती सुमित्रा महिला कानि., श्रीमती वीरपाल कौर महिला कानि., श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 के निजि प्राईवेट वाहन व सरकारी बोलेरो गाड़ी से मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स मय दिनांक 01.03.2023 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजि वाहन व सरकारी वाहन से लखूवाली की तरफ रवाना हुए। श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 03.15 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा लखूवाली

पटवार घर के पास पहुंचे, परिवादी को आरोपिता से संपर्क करने आवश्यक हिदायत देकर पटवार घर लखूवाली की तरफ रवाना किया मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पटवार घर लखूवाली के पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए।समय 03.35 पीएम इस समय परिवादी गिरधारीलाल ने पटवार घर लखूवाली से बाहर आकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ, महिला कानिगणों को साथ लेकर परिवादी गिरधारी लाल के पास पहुचा तो उसने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द करते हुए बताया की श्रीमती कौशल्या पटवारी ने मेरे से मेरे से संबंधित कार्य की बात करते हुए मेरे से 2,000/–रूपये प्राप्त कर अपने पीठू बैग की उपर दूसरी जेब में रख लिये, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी को साथ लेते हुए पटवार घर लखूवाली में प्रवेश किया तो गेट के सामने कुर्सी पर बैठी महिला की तरफ ईशारा कर बताया की यह श्रीमती कौशल्या पटवारी जी है जिन्होने मेरे से मेरे काम के संबंध में वार्ता करते हुए 2000/–रूपये प्राप्त कर अपने पीठू बैग की उपर की दूसरी जेब में रखे है, इस पर उस उक्त महिला को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो वह घबरा गयी व रोने लगी, गलती हो गई, माफी मांग लेती हूं, मुझे माफ कर दो, बुरी तरह करने लग गयी जिस पर ब्यूरो स्टाफ द्वारा व मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा तसल्ली दी गई, तसल्ली देकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री संदीप कुमार, जाति जाट उम्र–30 वर्ष, निवासी पोहड़का, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल निवास सूर्या कॉलोनी, नोहर रोड़ रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ होना बताया इस पर आरोपिता श्रीमती कौशल्या से परिवादी श्री गिरधारीलाल से 2000/–रूपये रिश्वत लेने बाबत पूछा तो आरोपिता श्रीमती कौशल्या रोने लगी व कहने लगी श्री गिरधारी लाल बैग में रूपये डाल गया मैने इससे कभी कोई रिश्वत नहीं मांगी थी इसके इंतकाल संबंधी काम पर मेरे द्वारा दिनांक 02.03.2023 को ही कर दिया आज ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव लिया जाना शेष था, तब ये आया व अपने आप ही मेरे बैग में रूपये डाल गया मैने इससे कभी कोई रिश्वत नहीं मांगी और ना ही मैने इससे ली है इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी गिरधारी लाल ने स्वतः ही बताया की मेरे गांव जोरावरपुरा 3 एचएलएम में मेरे नाम 10 बीघा कृषि भूमि है जिसमें से मैने 5 बीघा कृषि भूमि अपनी पत्नी श्रीमती मुन्नीदेंवी के नाम गिफ्ट डीड करवायी है जिसका इंतकाल मेरी पत्नी के नाम खुलवाने के लिए मैनें श्रीमती कौशल्या पटवारी जी सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवा दिये थे जब मैने इनसे मेरे काम का पूछा तो इन्होने काम के बदले मेरे से 2000/–रूपये रिश्वत मांगी तब मैने इनके खिलाफ आपके विभाग में प्रार्थना पत्र दिया और दिनांक 01.03.2023 को रिश्वत का मांग सत्यापन करवाया तो उस दिन पटवारी जी ने मेरे से दो हजार रूपये मांगे थे उसी की एवज में मैने श्रीमती कौशल्या पटवारी जी को रिश्वत स्वरूप 2000/–रूपये दिये, जो इन्होने मेरे से लेकर अपने पीठू बैग की उपर की दूसरी जेब में रख लिये, रिश्वत राशि का आदान प्रदान की ताईद होने पर आरोपिता श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी के दोनो हाथों की धुलवाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर उनमें सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना उपस्थित गवाहन ने ताईद किया फिर एक कांच के गिलास के तैयार घोल मे आरोपिता श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर–1, आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इस विधि अनुसार दूसरे कांच की गिलास में तैयार घोल में आरोपिता श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी के बांये हाथ की अगुंलियो व अगूंठे को घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का एल–1, एल–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर गवाह श्री पंकज कुमार को निर्देश देने पर गवाह श्री पंकज कुमार ने आरोपिता श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी के पीठू बैग बंरग काला जिसके उपर नीले रंग की धारिया है, जिसके उपर Uni-style लिखा हुआ है जिसके चार अलग–अलग जेब है जिसकी उपर की दो नंबर की जेब की चैन को खुलवाकर देखा तो उसमें सामने ही 100–100/–रूपये के नोटों की थैई दिखी जिसे गवाह श्री पंकज कुमार ने निकाल कर गिनकर कुल 2000/–रूपये होना बताया जिस पर दूसरे गवाह श्री जयसिह को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर अंकित नोटो के नंबरो का मिलान बरामदा नोटों के नंबरों से करवाने पर दोनो गवाहन ने हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताने पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित किये गये। उक्त बरामद नोटो को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि आरोपिता के बैग की उपर की दूसरी जेब से बरामद हुई है, जिसकी धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर

उक्त घोल में कपड़े की एक चिंदी को डूबोकर गिला कर उसे आरोपिता के बैग की उपर की दूसरी जेब पर रगड कर उसे पुनः घोल में डूबोया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का बी.पी–1, बी.पी–2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर बैग को चैक किया तो उसमें उपर की पहली जेब खाली, दूसरी जेब में एक लोहे का स्केल, एक श्रीमती कौशल्या का विभागीय परिचय पत्र, स्टाम्प पैड, एक फार्म पी.35 की रबड़ मोहर, बालपैन मिले, तीसरी जेब में परिवादी श्री गिरधारीलाल के इंतकाल नामान्तरण संबंधी पत्रावली, एक शुल्क प्राप्ति पंजीका मूल ग्राम लखूवाली, एक शुल्क प्राप्ति पंजीका मूल ग्राम जोरावरपुरा, एक दैनिक डायरी श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी की, ग्राम लखूवाली के क्रोप कंटिग से संबंधित व जिन्स वगैरा से संबंधित एंव लखूवाली ग्राम के नामान्तरण संबंधी दस्तावेज मिले, बैग की चौथी जेब में विभिन्न काश्तकारों की नामान्तरण शुल्क रसीदे मिली , उक्त बैग को खाली किया जाकर बैग पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बैग को कपड़े की थैली में डालकर थैली को मौके पर सील मोहर चीट कर मार्क बी.पी. अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। कपड़े की चिंदी को सुखाकर एक थैली में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर परिवादी से संबंधित दस्तावेजों को चैक किया तो परिवादी श्री गिरधारीलाल से संबंधित दस्तावेज पर श्रीमती कौशल्या द्वारा दिनांक 02.03.2023 को अपनी रिपोर्ट की गई है, मौके पर तलविदा श्री हरदीप सिह तहसीलदार हनुमानगढ़ उपस्थित आये जिनसे परिवादी से संबंधित पत्रावली, शुल्क प्राप्ति पंजीका ग्राम लखूवाली, शुल्क प्राप्ति पंजीका ग्राम जोरावरपुरा व दैनिक डायरी श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी की फोटोप्रति करवायी जाकर उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई, बैग में मिले आरोपिता के मूल विभागीय परिचय पत्र को कब्जा पुलिस लिया गया, परिवादी से सबंधित मूल दस्तावेज, शुल्क प्राप्ति पंजीका मूल ग्राम लखूवाली, शुल्क प्राप्ति पंजीका मूल ग्राम जोरावरपुरा, दैनिक डायरी श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी, अन्य दस्तावेज को तहसीलदार श्री हरदीप सिह को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किये गये, उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 05. 30 पीएम पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। आरोपिता श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। समय 06.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 01.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 01.03.2023 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडियां मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री संदीप कानि0 273 से उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड करवाया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क ए–1, मार्क ए–2, मार्क ए–3 दिया गया, उनमें से दो डीवीडी मार्क ए–1 व मार्क ए–2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त डीवीडीयों को प्लास्टिक लिफाफा कवर में अलग–अलग डालकर उक्त डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग–अलग डलवाकर थैली को सीव्ड किया जाकर मार्क ए–1 व मार्क ए–2 अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तीसरी डीवीडी मार्क ए–3 को एक प्लास्टिक लिफाफे कवर में डलवाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 01.03.2023 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 06.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 09.03.2023 को हुई परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डवार्ता के लिए तीन खाली नई डीवीडियां मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री संदीप कानि0 273 से उक्त वार्ता को तीन डीवीडी में बारी बारी से डाउनलोड करवाया तथा उनमें वार्ता डाउनलोड होना सुनिश्चित होने पर उन्हे मार्क बी–1, मार्क बी–2, मार्क बी–3 दिया गया, उनमें से दो डीवीडी मार्क बी–1 व मार्क बी–2 पर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त डीवीडीयों को प्लास्टिक लिफाफा कवर में अलग–अलग डालकर उक्त डीवीडी को कवर सहित कपड़े की थैली में अलग–अलग डलवाकर थैली को सीव्ड किया जाकर मार्क बी–1 व मार्क बी–2 अंकित कर हाजरीन के थैली पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तीसरी डीवीडी मार्क बी–3 को एक प्लास्टिक लिफाफे कवर में डलवाकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया, सबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद कर फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण

मुर्तिब की गई। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर मौके से रूखसत किया गया। मौके से रवाना होकर आरोपिता का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन की हवालात में जमा करवाया गया। ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंच कार्यवाही में जब्तशुदा माल–वजह सबूत छः शिशिया, सील्डशुदा रिश्वत राशि 2,000/–रूपये, सील्डशुडा डी.वी.डी. की चार थैलीया, सील्डशुदा मैमोरीकार्ड की एक थैली, जप्तशुदा बैग की शील्ड थैली, कपड़े की चिंदी की शील्ड थैली, आरोपिता का विभागीय परिचय पत्र श्री हसंराज मुख्य आरक्षक को सुरक्षित संभलाया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना में रखवाया गया।

इस प्रकार परिवादी परिवादी गिरधारी लाल पुत्र श्री दलुराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी जोरावरपुरा 3 एचएलएम तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने पांच बीघा कृषि भूमि अपनी पत्नी श्रीमती मुन्नीदेंवी के नाम गिफ्ट डीड करवायी थी जिसका इंतकाल उसकी पत्नी के नाम खुलवाने के लिए परिवादी नें हल्का पटवारी श्रीमती कौशल्या से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज जमा करवा दिये, परिवादी द्वारा श्रीमती कौशल्या पटवारी जी से संपर्क किया तो उसने कहा की तुम्हारें कागजों पर थोडा वजन रखना पड़ेगा तभी तुम्हारा काम होगा जिस पर परिवादी ने कहा आप थोडा खुलकर बताओं तो पटवारी श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी ने कहा कि आपकी पत्नी के नाम इंतकाल चढ़ाने के लिए आप मुझे दो हजार रूपये दो उसके बाद आपका काम हो जाएगा इसपर परिवादी नें उन्हें दो हजार रूपये देने में असमर्थता जतायी तो श्रीमती कौशल्या ने कहा इस काम के दो हजार रूपये तो लगेगें, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.03.2023 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन से आरोपिता श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ द्वारा 2000/–रूपये की मांग की, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.03.2023 को रूबरू गवाहन 2,000/– रूपये रिश्वत राशि पर ट्रेप का आयोजन किया गया। वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपिता श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ द्वारा परिवादी से 2,000/–रूपये प्राप्त कर अपने पीठू बैग की उपर की दूसरी जेब में रखे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, आरोपी के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन मटमैला , व रिश्वती राशि बरामदगी स्थान पीठू बैग की उपर की दूसरी जेब से प्राप्त धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी श्रीमती कौशल्या राजस्व पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी से रिश्वत प्राप्त की आदि तथ्यों से श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री संदीप कुमार, पुत्री रणवीर सिह जाति जाट उम्र–30 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 03, ग्राम पोहड़का, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल निवास सूर्या कॉलोनी, नोहर रोड़ रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल वरिष्ठ पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध घटित होना पाया गया है। अतः श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री संदीप कुमार, पुत्री रणवीर सिह जाति जाट उम्र–30 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 03, ग्राम पोहड़का, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल निवास सूर्या कॉलोनी, नोहर रोड़ रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल वरिष्ठ पटवारी लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा ग्राम पंचायत मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(राजेन्द्र सिह)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती कौशल्या, वरिष्ठ पटवारी, लखूवाली अतिरिक्त चार्ज ग्राम जोरावरपुरा, ग्राम पंचायत मैनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 58/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 462-65 दिनांक 10.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर।
2. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

10.3.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।